भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 775

26 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

महाराष्ट्र में मुख्य स्वास्थ्य योजना

775. **श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:**

श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा महाराष्ट्र में कार्यान्वित की जा रही प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं और विशिष्ट योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं पर कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) राज्य में उक्त योजनाओं का कार्यान्वयन कब तक पूर्ण होने की संभावना है और लोगों को इनसे क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है;

(घ) क्या राज्य में ऐसे क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है, जहां चिरकारी स्थानिक रोगों के उन्मूलन हेतु विशिष्ट कार्यक्रमों की आवश्यकता है; और

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग) : भारत सरकार द्वारा महाराष्ट्र में एनएचएम के तहत कार्यान्वित किए गए विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में मौजूदा उप केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर (पूर्ववर्ती आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) के रूप में बदलकर उनका संचालन, अनुबंध के आधार पर स्वास्थ्य मानव संसाधन नियुक्त करने के लिए सहायता, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं, मोबाइल मेडिकल यूनिटें, आशाकर्मी, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, 24 x 7 सेवाएं और प्रथम रेफरल सुविधा केंद्र, मेरा

अस्पताल, कायाकल्प पुरस्कार योजना, प्रधान मंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों का कार्यान्वयन और संबंधित गतिविधियां, लक्ष्य प्रमाणन, बायोमेडिकल उपस्कर रखरखाव और प्रबंधन कार्यक्रम, मुफ्त डायग्नोस्टिक्स सेवा पहल और मुफ्त दवा सेवा पहल शामिल हैं। इसके अलावा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए मिशन परिवार विकास, किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिक (एएफएचसी), साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण (डब्ल्यूआईएफएस), मासिक धर्म स्वच्छता योजना, सुविधा केंद्र आधारित नवजात शिशु देखभाल (एफबीएनसी), घर आधारित नवजात शिशु देखभाल कार्यक्रम, निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई (सांस), छोटे बच्चों के लिए घर आधारित देखभाल (एचबीवाईसी), राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके), प्रारंभिक बचपन विकास (ईसीडी), व्यापक गर्भपात देखभाल (सीएसी), एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) रणनीति, पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) कार्यक्रम जैसी पहलों को सहयोग दिया जाता है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए भी सहयोग किया जाता है।

30.06.2024 तक, महाराष्ट्र में मौजूदा एसएचसी और पीएचसी को उन्नत करके कुल 11,448 आयुष्मान आरोग्य मंदिर चालू किए गए हैं ताकि व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (सीपीएचसी) प्रदान की जा सके, जिसमें निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, दर्द निवारक और पुनर्वास सेवाएं शामिल हैं, जो समुदाय में सार्वभौमिक तौर पर, मुफ्त और निकट ही उपलब्ध हैं।

पंद्रहवें वित्त आयोग ने स्वास्थ्य क्षेत्र के विशिष्ट घटकों के लिए स्थानीय सरकारों के माध्यम से 70,051 करोड़ रुपये के अनुदानों की सिफारिश की है और इन्हें केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। स्थानीय सरकारों के माध्यम से मिले ये स्वास्थ्य - अनुदान वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक की पांच साल की अवधि के लिए हैं और जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने में सहायक होंगे। वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए महाराष्ट्र राज्य के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग स्वास्थ्य अनुदान के तहत कुल 7067 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 64,180 करोड़ रुपये की लागत से प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) का शुभारंभ किया। पीएम-एबीएचआईएम के तहत किए गए उपायों का उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक और विशिष्ट सभी स्तरों पर स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखते हुए स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमता विकसित करना है, ताकि वर्तमान और भविष्य की महामारियों/आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को तैयार किया जा सके।

महाराष्ट्र राज्य के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएम-एबीएचआईएम के तहत कुल 1195.15 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को उनकी सरकारी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करती है। राज्यों/ संघ राज्यों क्षेत्रों को जारी किए गए आरओपी का विवरण निम्नलिखित वेब लिंक पर उपलब्ध है:
https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744

(घ) और (ङ) : राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केन्द्र (एनसीवीबीडीसी) महाराष्ट्र सहित उन राज्यों/ संघ राज्यों क्षेत्रों में, जहां ये रोग स्थानिक हैं, छह वेक्टर जनित रोगों (वीबीडी) अर्थात मलेरिया, कालाजार, जापानी इंसेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया और लिम्फैटिक फाइलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) नामक एक व्यापक कार्यक्रम का संचालन करता है।

भारत सरकार महाराष्ट्र सहित पूरे भारत में खसरा और रूबेला उन्मूलन की दिशा में काम कर रही है। इन बीमारियों को खत्म करने के लिए, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 9 महीने और 16-24 महीने की उम्र के बच्चों को खसरा और रूबेला वैक्सीन की दो खुराकें दी जाती हैं। देश भर में खसरा और रूबेला टीकाकरण अभियान चलाया गया है, जिसमें 9 महीने से 15 साल की उम्र के बच्चों को एमआर वैक्सीन की एक अतिरिक्त खुराक दी गई।

*****